

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																
1	2	3																
	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया</b></p> <p style="text-align: center;">जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० – 207/2016-17</p> <p style="text-align: center;">श्री योगेन्द्र पासवान, पिता-स्व० छोटे लाल पासवान, सा०-कुसियारगाँव, आजमनगर, थाना-अररिया, जिला-अररिया – आवेदक</p> <p style="text-align: center;"><b>बनाम</b></p> <p>1. श्री धनाई हाँसदा, पिता-राम हाँसदा, सा०-दियारी, थाना-अररिया, जिला-अररिया 2. श्रीमती रानी सोरेन, पति-धनाई हाँसदा, सा०-दियारी, थाना-अररिया, जिला-अररिया</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रस्तुत वाद अंचलाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1634, दिनांक 15.6.2016 द्वारा निम्न विवरण की दर्ज जमाबंदी सं० 98 एवं 99 को रद्द करने हेतु अभिलेख सं० 167/2014-15 (अंचल-अररिया) संधारित कर अपनी अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>वादग्रस्त जमीन का विवरण</b></p> <table border="1" data-bbox="386 1217 1317 1333"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना न०</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> <th>जमाबंदी सं०</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दियारी</td> <td rowspan="2">288</td> <td rowspan="2">613</td> <td>2141</td> <td>1.08 ए०</td> <td>98 बनाम धनाई हाँसदा</td> </tr> <tr> <td>अंचल-अररिया</td> <td>2141</td> <td>0.87 ए०</td> <td>99 बनाम रानी सोरेन</td> </tr> </tbody> </table> <p>अंचलाधिकारी, अररिया की अनुशंसा के आलोक में इस वाद को बिहार दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 के तहत प्रविष्ट करते हुए उभय पक्षों को न्यायालय द्वारा सूचना दी गई। सूचनोपरांत उभय पक्ष विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने हेतु बार-बार समयावधि आवेदन दाखिल किये जाने के बावजूद भी प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया। तत्पश्चात् प्रथम पक्ष को विज्ञ अधिवक्ता के अनुरोध पर दिनांक 15.3.2017 को सुना गया और द्वितीय पक्ष की सुनवाई हेतु 29.4.2017 को तिथि निर्धारित की गई। किन्तु निर्धारित तिथि को द्वितीय पक्ष सुनवाई में भाग नहीं लिया और समयावधि आवेदन दाखिल किया जाता रहा। तत्पश्चात् दिनांक 8.7.2017 की निर्धारित तिथि को भी विपक्षी द्वारा समयावधि आवेदन पत्र दाखिल किया गया। दिनांक 8.7.2017 को द्वितीय पक्ष के दाखिल समयावधि आवेदन को न्यायालय द्वारा अस्वीकृत करते हुए अभिलेख को आदेशार्थ निर्धारित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 10.7.2017 को द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया।</p>	मौजा	थाना न०	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं०	दियारी	288	613	2141	1.08 ए०	98 बनाम धनाई हाँसदा	अंचल-अररिया	2141	0.87 ए०	99 बनाम रानी सोरेन	
मौजा	थाना न०	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं०													
दियारी	288	613	2141	1.08 ए०	98 बनाम धनाई हाँसदा													
अंचल-अररिया			2141	0.87 ए०	99 बनाम रानी सोरेन													

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार प्रथम पक्ष के योगेन्द्र पासवान को वादग्रस्त भूमि जो बिहार सरकार खास खाते की है, भू-बंदोबस्ती वाद सं० 56/1978-79 द्वारा बंदोबस्त है और प्रथम पक्ष के नाम जमाबंदी सं० 14 संधारित होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा था। जिसपर वे दखलकार थे। प्रथम पक्ष द्वारा अपनी पुत्री की शादी हेतु वादग्रस्त भूमि 10,000/- (दस हजार) रू० में द्वितीय पक्ष को सुदभरना दिया था। किन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा धोखे से प्रथम पक्ष योगेन्द्र पासवान से सुदभरना कागज पर हस्ताक्षर कराने के बहाने वादग्रस्त भूमि आने नाम से तथा अपनी पत्नी रानी सोरेन के नाम निबंधित दस्तावेज करा लिया गया। जबकि प्रथम पक्ष द्वारा जमीन की बिक्री द्वितीय पक्ष को नहीं की गई है। द्वितीय पक्ष भारतीय रेलवे में सरकारी सेवक है और दबंग व्यक्ति है। जब प्रथम पक्ष को जमीन से बेदखल किया जाने लगा तो प्रथम पक्ष द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन दाखिल किया गया। जिसके पुलिस प्रतिवेदन में भी उक्त सारी बातों का उल्लेख है।

इनका यह भी कहना है कि उक्त भूमि को लेकर दिनांक 23.3.2015 को आयोजित ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के तहत पंचों एवं ग्रामीण के समक्ष दोनों पक्षों के बीच पंचनामा हुआ और उक्त पंचनामा के अनुसार द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा सुदभरना की राशि 10,000/- नगद वापस कर दिया गया तथा द्वितीय पक्ष धनाई हाँसदा द्वारा उक्त राशि प्राप्त कर पंचनामा पर अपना हस्ताक्षर कर वादग्रस्त भूमि प्रथम पक्ष को सौंप दिया गया। मूल पंचनामा की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। तत्पश्चात पंचों द्वारा स्थल पर जाकर बंदोबस्तधारी को जमीन जुतवा दिया गया और एक फूस का मकान का निर्माण प्रारम्भ किया गया।

इनका यह भी कहना है कि द्वितीय पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि का धोखे से कराई गई निबंधित दस्तावेज सं० 6833, दिनांक 7.7.1992, 6835, दिनांक 7.7.1992 एवं 6834, दिनांक 7.7.1992 के आधार पर हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक एवं अंचलाधिकारी को भी धोखे में रखकर बन्दोबस्त जमीन का नामान्तरण वाद सं० 2171/2003-04 एवं 2172/2003-04 द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं० 98 एवं 99 संधारित करा लिया गया और 2015-16 तक का लगान रसीद भी प्राप्त कर लिया गया है। जिसे रद्द करने की अनुशंसा के साथ अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा प्रस्ताव अभिलेख सं० 167/2014-15 द्वारा अपर समाहर्ता, अररिया के न्यायालय को प्रेषित किया गया है। अतएव विपक्षीय पक्ष के नाम वादग्रस्त भूमि का दर्ज जमाबंदी सं० 98 एवं 99 को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

द्वितीय पक्ष के लिखित बहस के अनुसार वर्तमान वाद न्यायहित में पोषणीय नहीं है तथा निरस्त योग्य है। क्योंकि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के योगेन्द्र पासवान को स्वत्व एवं दखल कब्जे वाली भूमि थी। प्रथम पक्ष ने उचित मूल्य लेकर वादग्रस्त भूमि तीन निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 07.07.1992 को धनाई हाँसदा एवं उसकी



पत्नी रानी सौरन के नाम से बिक्री कर दिया, जिसपर विपक्षी दखलकार होकर अंचलाधिकारी, अररिया के कार्यालय से विधिवत दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी दर्ज होने के पश्चात् लगान रसीद प्राप्त करता आ रहा है। अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवादी धनाई हॉसदा के पक्ष में भूमि अधिकार प्रमाण पत्र निर्गत कर जमीन का स्वामित्व एवं दखल-कब्जा की पुष्टि की है।

इनका यह भी कहना है कि वादी प्रथम पक्ष योगेन्द्र पासवान एक चालाक एवं चतुर तथा धोखेबाज किस्म का व्यक्ति है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात् अचानक उसके द्वारा इस तथ्य को सामने लाकर कि बिक्री सुदा जमीन उसे सरकार से बंदोबस्ती द्वारा हासिल है, इसलिये उसका बिक्रीनामा नाजायज है और वादभूमि पर अपना दावा कर दिया तथा इसी दावा के आधार पर पुनः विपक्षी का भयादोहन कर उससे पैस वसूल कर दिनांक 10.02.2009 को एक शपथ पत्र निष्पादित करते हुए इस वाद को स्वयं एकरार किया कि प्रश्नगत भूमि का बिक्री उसके द्वारा विपक्षी के पक्ष में निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 7.7.1992 ई० को किया गया है। जिसपर उसका कोई दावा दावी भविष्य में नहीं होगा। क्योंकि उसके द्वारा प्रश्नगत भूमि की बिक्री बिल्कुल सही है, जिसपर स्थानीय गवाहों का भी हस्ताक्षर मौजूद है। इस प्रकार विपक्षी के नाम से चल रहे जमाबंदी के संबंध में आवेदक द्वारा यदि कोई आवेदन दिया गया है तो वह गैर कानूनी और पोषनीय नहीं है।

इनका यह भी कहना है कि जहाँ तक जमाबंदी का प्रश्न है तो उसके लिये अनिवार्य है कि जमीन का वैधानिक दस्तावेज एवं दखल कब्जा जिस पक्ष के पास होगा उसी पक्ष का जमाबंदी निर्धारित किया जाना विधि संगत होगा और वर्तमान समय में वादी योगेन्द्र स्वेच्छा से उचित मूल्य लेकर प्रश्नगत भूमि का निबंधित दस्तावेज विपक्षी के पक्ष में तामिला किया गया है। साथ ही उक्त केवाला में भी विक्रेता द्वारा इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि बिक्री सुदा जमीन विक्रेता को बंदोबस्ती से हासिल है। विपक्षी के केवाला को किसी भी न्यायालय द्वारा विखंडित नहीं किया गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि निबंधित दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध है। ऐसी स्थिति में निबंधित दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध है। ऐसी स्थिति में निबंधित केवाला को बिना विखंडित किये विपक्षी के दर्ज जमाबंदी को निरस्त करना वैधानिक दृष्टिकोण से विधि संगत नहीं होगा। अतः प्रथम पक्ष के दावे को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के तर्कों तथा अभिलेख में संलग्न साक्ष्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखों तथा अंचलाधिकारी के मंतव्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि बिहार सरकार खास खाते की है, जो प्रथम पक्ष के योगेन्द्र पासवान को भूबंदोबस्ती वाद सं० 56/1978-79 द्वारा बंदोबस्त परवाना द्वारा बंदोबस्त है तथा जमाबंदी सं० 14 दर्ज है। बन्दोबस्तधारी योगेन्द्र पासवान द्वारा वादग्रस्त भूमि 10,000.00 (दस हजार) रुपये में विपक्षी को सुदभरना दी गई, जिसे धोखाधड़ी से विपक्षी धनाई हॉसदा एवं रानी सौरन

द्वारा केवाला करा लिया गया और दाखिल-खारिज वाद सं० 2171/2003-04 एवं 2172/2003-04 द्वारा नामान्तरण कराकर जमाबंदी सं० 98 एवं 99 दर्ज करा कर लगान रसीद प्राप्त कर लिया गया।

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के तहत आयोजित विशेष शिविर में ग्रामीणों एवं सरपंच के समक्ष उभय पक्षों द्वारा सुदभरना की बात को स्वीकार किया गया तथा एक पंचनामा तैयार कर सुदभरना की राशि 10,000.00 (दस हजार) रुपये नगद प्रथम पक्ष के योगेन्द्र पासवान द्वारा विपक्षी धनाई हाँसदा को वापस लौटा दिया गया। जिसे विपक्षी धनाई हाँसदा द्वारा उपस्थित सरपंच एवं ग्रामीणों के बीच नगद प्राप्त कर पंचनामा पर अपना हस्ताक्षर कर वादग्रस्त भूमि योगेन्द्र पासवान को वापस कर दिया गया और ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थल पर जाकर बंदोबस्तधारी योगेन्द्र पासवान को दखल कब्जा दे दिया गया। जिसपर बंदोबस्तधारी योगेन्द्र पासवान द्वारा एक फूस का मकान निर्माण प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा बिहार सरकार वादग्रस्त भूमि का विक्रय केवाला के आधार पर दर्ज की गई जमाबंदी सं० 98 एवं 99 जो विपक्षी धनाई हाँसदा एवं रानी सोरेन के नाम दर्ज है, जो रद्द करने की अनुशंसा की गई है। जहाँ तक विपक्षी का दावा है कि प्रथम पक्ष योगेन्द्र पासवान द्वारा वादग्रस्त भूमि का उचित मूल्य प्राप्त कर उनके पक्ष में निबंधित दस्तावेज द्वारा बिक्री की गई है और उनके दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा विखंडित नहीं कराया जाता है तबतक उनका निबंधित दस्तावेज वैध है और दस्तावेज के आधार पर विपक्षी के नाम विधिवत दर्ज की गई जमाबंदी को निरस्त किया जाना विधि संगत नहीं है तो इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई पत्र निर्गत हैं, जिसमें बिहार सरकार गैर मजरूआ खास भूमि का क्रय-विक्रय होना अवैध माना गया है।

अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं अंचलाधिकारी, अररिया के अनुशंसा के आलोक में विक्रय पत्र के आधार पर बिहार सरकार गैर मजरूआ खास खाते की वादग्रस्त भूमि मौजा-दियारी, थाना नं० 288, खाता सं० 613, खेसरा सं० 2141, रकवा 1.08 एकड़ भूमि का दर्ज जमाबंदी सं० 98 बनाम धनाई हाँसदा, पिता-राम हाँसदा, सा०-दियारी तथा रकवा 0.87 एकड़ भूमि का दर्ज जमाबंदी सं० 99 बनाम रानी सोरेन, पति-धनाई हाँसदा, सा०-दियारी के नाम दर्ज जमाबंदी को रद्द किया जाता है।

अंचल अधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि इसे मूल जमाबंदी सं० 14 में शामिल कर दें।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, अररिया को भेजे।

लेखापित एवं संसोधित


ह०-


अपर समाहर्ता,  
अररिया

ह०-

अपर समाहर्ता,  
अररिया

ज्ञापांक 22/रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 01/09/2017  
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को उनके मूल अभिलेख सं0 167/2014-15 के  
साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



  
अपर समाहर्ता,  
अररिया